

16 11
22

अधिकतागण उपस्थित। तहसीलदार
श्रीकरणपुर के पत्रांक 5926 दिनांक 10/11/22
से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट
के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण
खाता विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं।
इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा फर्द
भौका तैयार किया गया जिस पर सहमति
स्वरूप उपस्थितजनों के अंगूठा / हस्ताक्षर
करवाए गए। लिहाजा रिपोर्ट तहसीलदार
श्रीकरणपुर के अनुसार वादीगण का वादपत्र
अन्तर्गत धारा 53, 88 RTA व प्रतिवादीगण
का काउन्टर क्लेम इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली विणीति होकर
गम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

